न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–394/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/394)

1. महन्त श्री फतेहगिरी चैला ईतवारगिरी निवासी 108 सूरजपोल गेट गणपति मंदिर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2022 सहायक कलक्टर एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 76/2020

उपस्थितः–

1. श्री वी.पी.सिंह राजावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01.

निर्णय

दिनांकः–24.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट राज्य सरकार के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम निरसिंहपुरा पटवार क्षेत्र परसिंहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र ब्यावरखास तहसील ब्यावर में खसरा नम्बर 531 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन मंदिर एवं खसरा नम्बर 532 रकबा 1 बीघा किस्म गैर मुमकिन धूणी स्थित है। पूर्व में उक्त आराजी की खातेदारी वादी के पडगुरू महन्त श्री गणेशीगिरी उर्फ बजरबटटू बाबा के नाम दर्ज चली आ रही थी जिनका स्वर्गवास सन् 1979 में हो गया जिसके पश्चात प्रचलित रीति रिवाज के तहत उनका चेला ईतवारगिरी को नियुक्त किया गया जिनका भी स्वर्गवास सन् 2006 में हो चुका है। वर्तमान में अपीलाट स्व0 ईंतवारगिरी का चेला नियमानुसार नियुक्त होकर विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है साथ ही सूरजपोल गेट के बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर की सेवा भी बहैसियत पुजारी एवं संचालक करते हुए समस्त अन्य चल व अचल सम्पत्तियों की देखभाल व व्यवस्था करता

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

चला आ रहा है। लेकिन विवादित आराजी जो कि अपीलांट के पूर्व गुरू गणेशगिरी के नाम दर्ज चली आ रही थी उसका विरासती नामांतकरण तस्दीक नहीं होने से अपीलांट ने तहसीलदार ब्यावर के समक्ष एक आवेदन पत्र वास्ते खोले जाने विरासती नामांन्तकरण दिनांक 30.9.2019 को पेश किया जस पर तहसीलदार ब्यावर ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया इस कारण यह वाद वास्ते घोषित किए जाने खातेदार पेश करना लाजमी हुआ। उक्त वाद पत्र का जवाब पेश कर विवादित आराजी जमाबंदी चौसाला सम्वत 2071 से 2074 में गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू बाबा चेला चंचलगिरी के नाम दर्ज होना स्वीकार करते हुए शेष कथन वादी स्वय सिद्ध करे का अंकन किया। बाद जवाब सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2022 द्वारा अपीलांट का वाद खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2022 की सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा 15.9.2022 को बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 16.9.2022 को ब्यावर गया एवं मालूमात करने निर्णय की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 16.9.2022 को नकल हेतु आवेदन किया जस पर नकल दिनांक 16.9.2022 को प्राप्त हो गई तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर प्रार्थी अजमेर आया और वकील साहब से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवाकर आज बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में पेश कर रहा है, न्यायहित में प्रार्थी वृद्ध एवं मंदिर का पुजारी होने से उक्त अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर सका इस कारण निगरानी पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह उपरोक्त सदभाविक कारण होने से क्षमा किए जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है एवं निर्विवाद रूप से विवादित भूमि खातेदारी गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू चेला चंचलगिरी के नाम दर्ज चली आ रही है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी मंदिर की भूमि होने का न तो कोई प्रश्न था और न ही इस बाबत कोई विवाद था। प्रश्न केवल यह था कि गणेशगिरी की मृत्यु सन् 1979 में हो चुकी थी एवं उन्होंने अपने जीवनकाल में अपना चेला ईतवार गिरी को विधिवत एवं प्रचलित परम्परा के तहत नियुक्त कर दिया था जिके बाबत भी कोई विवाद नहीं था और इस संबंध में सभी आवश्यक साक्ष्य जो ईतवारगिरी को गणेशगिरी का चेला होना एवं अपीलांट को ईतवार गिरी का चेला होना प्रमापणित करती है पत्रावली पर उपलब्ध थे एवं केवल इसी आधार पर विरासत का नामान्तकरण खोले जाकर अपीलांट को खातेदार घोषित जाना था लेकिन परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्य एवं प्लीडिंग को समक्षे बिना अपीलांट का वाद खारिज फरमाने में भारी कानूनी भूल की है। सन्त समुदाय में प्रचलित गुरू एवं शिष्य परम्परा के तहत शिष्य की

Scanned with CamScanner

नियुक्ती की जाती है एवं इस तथ्य को पंचदश नाम, जूना अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट वाराणसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र पूर्णतया साबित करती है इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने भी अपने आपको उक्त गणेशगिरी का चेला होना पिछले 43 साल में क्लेम नहीं किया है ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई विवाद ही नहीं था एवं जो व्यक्ति विधिवत रूप से स्थापित परम्परा के तहत चेला है उसे सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर खण्ड अजमेर द्वारा विवादित संपत्तियों के साथ सूरजपोल गेट ब्यावर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर की संपत्तियों के बाबत गणेश मंदिर ट्रस्ट की संस्था की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज करते हुए अपलांट को विवादित समस्त संपत्तियों का उत्तराधिकारी प्रबंधक एवं पुजारी मानकर आपत्तिकर्ता धनराज व भंवरसिंह की आपत्तियों को खारिज फरमाया था जिससे स्पष्ट साबित था कि अपीलांट ही महन्त गणेशगिरी उर्फ बजरबटटू बाबा का विधिक वारिस व शिष्य होकर वहैसियत महन्त विरासत का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन समस्त दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज कर एवं तथ्यों एवं रिकार्ड से परे जाकर विवादित आराजी को मंदिर की संपत्ति मानकर वाद खारिज फरमाने में भारी कानूनी भूल की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/4218 दिनांक 14.07.2022 से विंदुवार रिपोर्ट/जवाब प्रस्तुत कर जवाब में सारांशतः कथन किए है कि ग्राम नरसिंहपुरा के खसरा संख्या 531 रकबा 0.0124 किस्म गैर मुमकिन मंदिर व खसरा नम्बर 532 रकबा 0.1619 किस्म गै0मु0 धूणी के खातेदार गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू चेला चंचलगिरी हि0 पूर्ण जाति नयानगर के नाम दर्ज है तथा मौका पर्चा दिनांक 13.07.2022 के अनुसार श्री गणेश महाराज ट्रस्ट ब्यावर जिला अजमेर के नाम दिनांक 26.07.1984 को रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग के नाम हो रखा है। ग्राम नृसिंगपुरा के वाद में अंकित खसरा नम्बर 531 व 532 बाबत सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ब्यावर में मुकदमा नम्बर 31/1991 विचाराधीन होना बताया गया, मौके पर मुख्य सडक की तरफ व्यवसायिक दुकाने तथा एक फैक्ट्री बनी हुई है तथा बीच में मदिर बना हुआ है। विवादित भूमियां गणेश गिरी बाबा उर्फ बजरबटटू चेला चंचल गिरी के नाम दर्ज है परंतु किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वादी को गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू चेला चंचल गिरी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है एवं वादी ने सक्षम न्यायालय द्वारा जारी कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, ग्राम नरसिंगपुरा पटवार हल्का नरसिंगपुरा की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 28 में अंकित विवादित आराजी खसरा संख्या 531, 532 जो कि गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबट्टू चेला चंचल गिरी सा0 नयानगर खातेदार के नाम दर्ज है एवं व्यक्ति विशेष के नाम अंकित भूमि पर विधि मान्य दस्तावेजात के बिना खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है। ऐसी स्थिति में ग्राम नरसिंगपुरा पटवार हल्का नरसिंगपुरा की विवादित आराजी खसरा संख्या 531, 532 पर लाया गया वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निरतारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते है। **अतःप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट/वादी द्वारा राजस्व वाद ग्राम निरसिंहपुरा पटवार क्षेत्र परसिंहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र ब्यावरखास तहसील ब्यावर में खसरा नम्बर 531 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन मंदिर एवं खसरा नम्बर 532 रकबा 1 बीघा किस्म गैर मुमकिन धूणी स्थित है, तथा उक्त आराजीयात बाबत गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू चेला चंचलगिरी नियुक्त चले आ रहे थे तथा उनके बाद ईतवारगिरी को उक्त मंदिर को नियुक्त किया गया तथ उनके निधन के पश्चात अपीलांट उनके एक वारिस है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे अपीलांट उक्त आश्य के राजस्व वाद बाबत रेस्पोडेंट/प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने तीन तनकिया निर्मित की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत तनकी संख्या 1 आया कि घोषित किया जावे की महंत स्वीर्गीय गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू बाबा एवं महंत स्वर्गीय श्री ईतवारगिरी का चेला होने की वजह से उनका वारिस एवं उत्तराधिकार चला आ रहा है इस कारण वादी वादग्रस्त आराजीयात का विरासती दाखिल खारिज अपने नाम खुलवाने का अधिकारी है उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था तथा वादी उक्त तनकी के समर्थन मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे जिससे वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सके तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू चेला चंचलगिरी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा वादी/अपीलांट स्वयं को वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदार/काश्तकार अधिकारों की प्राप्ति हेतु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तथा वादी/अपीलांट उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णत असफल रहे इस प्रकार से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त तनकी में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। तनकी संख्या 2– आया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजी मे जमाबंदी गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबटटू चेला चंचलगिरी के खातेदारी में अंकित है जिस बाबत उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र अथवा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुंत करें तथा वादग्रस्त आराजीयात तथा वादी द्वारा स्वयं को सक्षम न्यायालय से किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र भी प्राप्त नही किया और नही ऐसा कोई सक्षम न्याायल द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकर प्रमाण पत्र वादी/अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी अपीलांट/वादी के विरूद्ध निर्णित की है जो कि विधि सम्मत व न्यायोचित प्रतीत होती है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत समस्त दस्तावेजों तथा बयानों का अवलोकन कर उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद का तनकीवार निर्णय दिनांक 13.09.2022 प्रदान किया है, जो कि विधि सम्मत एवं न्यायोचिहै। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की है जिसमे हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं समझते है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner